

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीपज़-सेज़, विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096

फा.सं..सीपज़-सेज़/ईओयू/सीएसटी-डीबीके/परिपत्र/2022-23/21323

दिनांक: 19.12.2022

सार्वजनिक सूचना सं. 39/2022

विषय: डीजीएफटी के दिनांक 30.10.2023 के परिपत्र संख्या 9 के अनुसार अस्वीकृत डीबीके दावे से संबंधित भौतिक फाइल प्राप्त करने के संबंध में

सभी ईओयू यूनिटों से अनुरोध है कि जिस किसी ने डीजीएफटी के दिनांक 30.10.2023 के परिपत्र संख्या 9 (आरई-2013)/2009-14 के अनुसार अस्वीकृत डीबीके दावे से संबंधित भौतिक फाइल प्राप्त नहीं की है, वह अस्वीकृत डीबीके दावे से संबंधित भौतिक फाइल प्राप्त करें।

आपसे पुनः एकबार अनुरोध है कि इस सार्वजनिक सूचना के जारी किए जाने के 15 दिनों के अंदर अपने दस्तावेज प्राप्त कर लें। उल्लिखित अवधि समाप्त हो जाने के बाद कोई दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-
(हरेश दहिलकर)
सहायक विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़

प्रति,
सभी ईओयू यूनिट

**Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Development Commissioner
SEEPZ -SEZ, SPECIAL ECONOMIC ZONE
ANDHERI(E) MUMBAI- 400096.**

F. No. SEEPZ-SEZ/EOU/CST-DBK/Circular/2022-23/ 21323

Date :19.12.22022

PUBLIC NOTICE No. 39 / 2022

Subject: Collect the Physical file pertaining to the rejected DBK claim as per DGFT Circular No. 9 dated 30.10.2013-reg.

All the EOU's units are requested to collect the physical file pertaining to their DBK Claim which is rejected as per DGFT Circular No. 9 (RE-2013)/2009-14 dated 30.10.2013 as document is not yet collected from this office.

You are once again requested to collect your documents within 15 days from issue of this Public Notice. No further claimed will be consider after the afore mention period.

This issues with the approval of the Development Commissioner of SEEPZ-SEZ.

Yours faithfully,



(Hareesh Dahilkar)

Asstt. Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ

To,

All EOU's Units